

फर्द अहकाम

न्यायालय उपरकण्ड अधिवक्ता श्री गणेशराव गड (पुणे)
 दाखल बनाम चोरेलाल
 मुकदमा संख्या/वर्ष : 198 / 2019

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<u>3/3/19</u>	२६ वा २ वारी की फर्द से ५५० की दिनेश कुमार शर्मा ने कलकत्ता द्वारा ३, १०४ R.T. Act के तहत पेश किया गया दावा दर्ज रफित हो। एलबी उतिवदी बाणे की लबी केकर दिनांक २०/११/१९ को पेश हो <u>OP</u>	
	<u>२०/११/१९</u>	पत्रावली पेश हुई। <u>एकील वादी अपु</u> पत्रावली पूर्वानुसार बास्ते तलबी/जवाब..... दिनांक <u>२९/११/१९</u> को पेश <u>OP</u>	
	<u>२९/११/१९</u>	पत्रावली पेश हुई। <u>एकील वादी अपु</u> पत्रावली पूर्वानुसार बास्ते तलबी/जवाब..... दिनांक <u>५/१२/१९</u> को पेश <u>OP</u>	
	<u>५/१२/१९</u>	पत्रावली पेश हुई। <u>एकील वादी अपु</u> पत्रावली पूर्वानुसार बास्ते तलबी/जवाब..... दिनांक <u>१३/१२/१९</u> को पेश <u>OP</u>	
	<u>१३/१२/१९</u>	पत्रावली पेश हुई। <u>एकील वादी अपु</u> पत्रावली पूर्वानुसार बास्ते तलबी/जवाब..... दिनांक <u>१६/१२/१९</u> को पेश	
	<u>१६/१२/१९</u>	पत्रावली पेश हुई वादी दाखल रूप उपरीपत, प्रिस्की पहचान उनके अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा ने की। दाखल न एक फाइल	<u>OP</u>

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयधरामगंज (मिथुन)
धातुला बनाम छोटीला वगैरे
 मुकदमा संख्या/वर्ष : 198/20/19

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	मा विशेष
		<p>पत्र अन्तर्गत धारा 23 नियम 157 के अन्तर्गत सपबित धारा 157 के अन्तर्गत किया जिसमें कि धारा में याद गवा अर्थात् के सम्बन्ध में पक्षकारों के महप आपसी तौर पर राजीनामा है युक्त है कि अर्थात् प्राप्त करण नहीं चाहता तथा धाड को रखाप किया जाये</p> <p>हमने प्रस्तुत प्रमाण पर पत्रपत्नी का अन्तर्गत किया जादी व उसके अन्तर्गत को सुना गया सुनने के उपरांत यादी वड को भागे चलाना नहीं चाहता है इसीप्रकार प्रस्तुत प्रमाण पर अन्तर्गत धारा 23 नियम 157 के अन्तर्गत किया जाता है तथा धाड को रखाप किया जाये पत्रपत्नी को सब सुनाए जाये मजद से काग हो धाड को रखाप उक्त हो</p> <p style="text-align: center;">(विश्वामित्र मीमा) उपखण्ड अधिकारी जयधरामगंज</p>	

